न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 64/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
बिरमाराम उर्फ बिरमराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी धवा तहसील मुण्डवा		तहसीलदार, मुण्डवा।

उपस्थिति :–

1. श्री अनिल गौड अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:24.07.2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 9/2016 सरकार बनाम बिरमाराम में निर्णय दिनांक 27.06.16 के तहत मौजा धवा के खसरा नं. 24, 8 व 5 रकबा 10.14 बीघा गै.मु. मगरा व रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 03.07.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 11.07.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट दिनांक 27.06.16 को अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष उपस्थित हुआ व जवाब मय दस्तावेज व साक्ष्य सबूत के पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया एवं अधीनस्थ न्यायलय द्वारा मौखिक में अपीलांट के निवेदन को स्वीकार कर लिया गया व अपीलांट के हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर करवा लिये व अपीलांट को जवाब का समय प्रदान कर दिया गया। अपीलांट भी अधीनस्थ न्यायालय से संतुष्ट होकर अपने घर आ गया व अपीलांट को यह कहा गया कि आपके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जायेगी, तब अपीलांट अचानक ही दिनांक 26.06.17 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को 458 रू. के जुर्माना अदा करने को कहा गया, तो अपीलांट ने कारण पूछा तो अपीलांट को कहा गया कि आपके विरूद्व तो दिनांक 27.06.16 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश कर दिये गये थे, तब अपीलांट ने अगले ही दिन अधीनस्थ न्यायालय से नकल के लिये आवेदन प्रस्तुत किया व उसी दिन नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियों के विरूद्व साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विरूद्व होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नही दिया गया व मात्र छः दिनों में अपीलांट का प्रकरण निस्तारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय में ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये जैर अपील पारित किया है, इस कारण निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलांट उपस्थित हुआ था, तब अपीलांट को यह कहकर आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये थे कि आपकी उपस्थिति दर्ज करनी है व आपको जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जायेगा, मगर उसी दिन ही अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर अपीलांट को मुगालते में रखकर अपीलांट के विरूद्व दिनांक 27.6.16 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को खसरा नं. 24, 8 व 5 ग्राम धवा पर अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था, पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे में कही भी नाप का उल्लेख नही किया गया है एवं न ही किस दिशा में, कितने नाप पर अतिक्रमण

कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नही किया गया है, मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हडबडी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VI)–खसरा नं. 10 अपीलांट के खातेदारी का खेत है एवं खसरा नं. 8 जो कि रास्ते का खसरा है, अपीलांट के खेत की पश्चिम की तरफ है, वर्तमान में वह रास्ता चालू है, रास्ते के किसी भी भाग पर अपीलांट ने अतिक्रमण नही किया है एवं पिछले वर्ष ही हस रास्ते पर राज. सरकार द्वारा डामरीकरण कर पक्की सडक का निर्माण करवाया गया है, जो वर्तमान में भी चालू है एवं आवागमन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अपीलांट ने खसरा नं. 8 पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नही किया गया है। यह संपूर्ण रिपोर्ट तहसील कार्यालय में बैठकर बनाई हुई प्रतीत होती है, क्योकि पटवारी हल्का द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, न ही मौके पर जाकर विधि सम्मत मुन्तकिल पाइंट निर्धारित कर नाप चोप किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकारों का गलत रूप से अवलम्बन लेकर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(VII)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाइल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ है, इससे मात्र खाली स्थानों की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया गया है। पूर्व में ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियों के टारगेट की रिकार्ड में पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, मगर वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने में निहित क्षेत्राधिकारों का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत निर्णय नही होने के कारण निरस्तनीय है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम धवा में स्थित गै.मु. मगरा व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. मगरा व रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके धवा के खसरा नंबर 24, 8 व 5 रकबा 10.14 बीघा गै.मु. मगरा व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर